रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092021-229521
CG-DL-E-09092021-229521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2021/भाद्र 18, 1943
No. 256] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2021/BHADRA 18, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2021

[मामला सं. एडी (एसएसआर)-20/2021]

विषय : चीन जन.गण. तथा यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''ओपल ग्लासवेयर'' के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 7/23/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए बोरोसिल लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' अथवा ''याचिकाकर्ता'' भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. और यूएई (जिन्हें आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ओपल ग्लासवेयर' (जिन्हें आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन, पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बार भी जारी है और यह कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/ उनकी पुनरावृति होने की संभावना है । अवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है ।

3. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो उसे लागू करने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति होने की संभावना है । इसके अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

4. आवेदक ने याचिका में संगत सूचना प्रदान की है । याचिका की सूचना की पर्याप्तता और पाटन तथा परिणामी क्षति के साक्ष्य के संबंध में जांच की गई है जो जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं । चूंकि याचिका विधिवत रूप से दस्तावेजित है और उसमें यदि मौजूदा शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन तथा क्षति की संभावना के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सबद्ध वस्तु के आयातों पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं ।

क. पृष्ठभूमि

5. चीन जन.गण. तथा यू ए ई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं.14/24/2010-डीजीएडी, के माध्यम से शुरू की गई थी । दिनांक 27 जून, 2011 की प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/24/2010-डीजीएडी के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 72/2011-सीमाशुल्क के माध्यम से लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 14/24/2010-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे, जिनके द्वारा प्राधिकारी ने पाया था कि संबद्ध वस्तु भारत में पाटित की जा रही है और घरेलू उद्योग को उससे क्षति हो रही है । अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2011 की अधिसूचना सं.103/2011-सीमाशुल्क के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

6. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 15/4/2016-डीजीएडी द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की गई थी । प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम दिनांक 3 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 15/4/2016-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे, जिनके द्वारा प्राधिकारी ने पाया कि शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करने की आवश्यकता है । अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 37/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा गया था। मौजूदा शुल्क 8 अगस्त, 2022 को समाप्त हो जाएगा ।

ख. विचाराधीन उत्पाद :

7. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार था:-

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी रूपों में ओपल ग्लावेयर है । सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत इस उत्पाद को एक प्रकार के ग्लासवेयर "सामान्यत:" के रूप में वर्णित किया गया है जिसका प्रयोग टेबल, कुशन, टॉयलेट, ऑफिस, इंडोर सजावट या समान प्रयोजनों के लिए होता है । तथापि, वर्तमान जांच का दायरा टेबल, किचन और ऑफिस के लिए प्रयोग होने वाले ओपल ग्लासवेयर तक सीमित है।"

8. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 के तहत टैरिफ मद 70134900 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यद्यपि, विभिन्न प्रकार के ग्लासवेयर सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 7013 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं । तथापि, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का दायरा टेबल, किचन, ऑफिस या समान प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त "ओपल ग्लासवेयर" तक सीमित है । सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 7013 के अंतर्गत आने वाले सभी अन्य उत्पाद वर्तमान मामले में विचराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

9. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए, स्थापित न्यायशास्त्र और प्राधिकारी की पूर्ववर्ती परिपाटियों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथापरिभाषित के समान रहेगा।

ग. समान वस्तु

10. आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद की पूर्व में जांच की गई है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और भारत को संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। यह बताया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और कार्य और प्रयोग कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उतपादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. यह आवेदन बोरोसिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और ला ओपाला आर जी लिमिटेड तथा सेलो प्लास्ट, जोकि संबद्ध वस्तु के दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं, ने आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उतपाद के किसी आयातक से संबंधित हैं।

12. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक उत्पादक के पास भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं।

ड. संबद्ध देश

13. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. तथा यूएई हैं।

च. जांच की अवधि (पीओआई)

14. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि जनवरी, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवधि शामिल होंगी।

छ. चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने बताया है कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ फ्रांस को बाजार अर्थव्यवस्था वाला उचित तीसरा देश माना जाना चाहिए। प्रतिनिधि देश में संबद्ध देश की कीमत संबंधी सूचना की अनुपलब्धता के कारण आवेदक ने फ्रांस से भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों की कीमत पर विचार करते हुए चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ माना गया है। हितबद्ध पक्षकार उचित तीसरे देश के रूप में फ्रांस के चयन के बारे में टिप्पणियां दे सकते हैं।

ज. यूएई के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। आवेदक संबद्ध वस्तु की ऑन लाइन बिक्री कीमतों के आधार पर यू ए ई के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत संबंधी सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम रहा है। आवेदक ने दावा किया है कि चूंकि ये खुदरा कीमतें हैं, इसलिए उन्हें खुदरा मार्जिन, स्थानीय करों और अन्य व्ययों के लिए समायोजित किया गया है। यद्यपि, जैसा आवेदक को ज्ञात है, यू ए ई में स्थानीय कर प्रचलित कर प्रणाली पर आधारित हैं। तथापि, अन्य सभी समायोजन व्यापार के बारे में आवेदक के अनुभव के आधार पर किए गए हैं।

17. जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

झ. निर्यात कीमत

18. संबद्ध आयातों की निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए कीमत संबंधी समायोजन किए गए हैं ।

ञ. पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे प्रथमदृष्टया पता चलता है कि निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद पाटित किया जा रहा है और इस प्रकार जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए निरंतर पाटन की संभावना का संकेत मिलता है ।

ट. क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

20. संबद्ध वस्तु के निरंतर पाटन, आयातों की भारी मात्रा, संबद्ध आयातों की कम कीमत, विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य वर्तमान क्षमता और निर्यातों के निर्यातोन्मुख होने पर विचार करते हुए इस बात के प्रथमदृष्या साक्ष्य हैं कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृति होने की संभावना है । यह प्रथमदृष्टया नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

ठ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं ।

ड. प्रक्रिया

22. इस समीक्षा में दिनांक 25 अगस्त, 2011 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/24/2010-डीजीएडी तथा दिनांक 3 जुलाई, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/4/2016-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे । प्राधिकारी यथाअपेक्षित पाटन और क्षति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे ।

23. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

ढ. सूचना प्रस्तुत करना

24. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in,adv13-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

25. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

ण. समय-सीमा

28. कोविडि-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in,adv13-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाये कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाली सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनियक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

त. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

32. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

थ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखने के तौर तरीकों को तेयार किया जा रहा है।

द. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2021

[Case No. AD (SSR)–20/2021]

Subject : Initiation of the sunset review investigation concerning imports of "Opal Glassware" originating in or exported from China PR and UAE.

F. No. 7/23/2021-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules"), Borosil Limited (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") seeking initiation of sunset review investigation in respect of the anti-dumping duty imposed on the imports of "Opal Glassware" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration"), originating in or exported from China PR and UAE (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The applicant has alleged that dumping of the subject goods from the subject countries has continued even after the imposition of anti-dumping duty and that there is likelihood of continuation/recurrence of the dumping and the injury in case of cessation of the duties. The applicant has requested for extension of the duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

3. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. The applicant has provided the relevant information in the petition. The petition has been examined for sufficiency of the information and the evidence of the dumping and the consequent injury to justify initiation of investigation. Since the petition is duly documented and contains sufficient prima facie evidence of likelihood of the dumping and the injury if the existing duty is allowed to expire, the Authority initiates the sunset review investigation of the anti-dumping duty already imposed on the imports of the subject goods originating and exported from the subject countries.

A. Background

5. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and UAE, was initiated by the Authority vide Notification No. 14/24/2010-DGAD dated 26th August, 2010. The Authority recommended the provisional anti-dumping duty vide preliminary findings Notification No. 14/24/2010-DGAD dated 27th June, 2011, which was imposed by the Central Government vide Notification No. 72/2011-Customs dated 9th August, 2011. The final findings were issued by the Authority vide Notification No. 14/24/2010-DGAD dated 25th August, 2011 whereby the Authority found the subject goods were being dumped in India and causing the injury to the domestic industry. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 103/2011-Customs dated 23rd November, 2011 for a period of five years.

6. A sunset review investigation was initiated by the Authority vide Notification No. 15/4/2016-DGAD dated 8th July, 2016. The final findings were issued by the Authority vide Notification No. 15/4/2016-DGAD dated 3rd July, 2017, whereby the Authority found the need to recommend continued imposition of the duties. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, the anti-dumping duty was continued by the Central Government vide Notification 37/2017-Customs (ADD) dated 9th August, 2017 for a period of five years. The existing duties will expire on 8th August, 2022.

B. Product under consideration

7. The scope of the product under consideration in the original investigation was as follows –

   "The product under consideration in the present investigation is Opal Glassware of all types. Under the Customs Tariff Act, the product has been described as glassware (in general) of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes. The scope of the present investigation is however restricted to opal glassware of a kind used for table, kitchen and office."

8. The product under consideration is classified under chapter 70 under tariff item 7013 4900 of the Customs Tariff Act., 1975. While different kinds of glasswares are classifiable under Customs sub-heading 7013, the scope of the product under consideration for the purpose of present investigation is limited to 'opal glasswares' of a kind used for table, kitchen, office or similar purposes. All the other products falling under Custom sub-heading 7013 are beyond the scope of the product under consideration in the present investigation. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the investigation.

9. The present investigation being a sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

C. Like article

10. The applicant has claimed that the product under consideration has been investigated in the past and there are no known differences between the goods produced by the domestic industry and the goods exported from the subject countries to India. It has been stated that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

D. Domestic industry & standing

11. The application has been filed by Borosil Limited and the application is supported by La Opala RG Limited and Cello Plast, which are the other two domestic producers of the subject goods. The applicant has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor

is related to any exporter or the producer of the subject goods in the subject countries or any importer of the product under consideration in India.

12. As per the evidence available on record, the applicant producer accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of the information available, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) of the Rules.

E. Subject Countries

13. The subject countries involved in the present sunset review investigation are China PR and UAE.

F. Period of Investigation (POI)

14. The period of investigation in the present investigation is the period from 1st April, 2020 to 31st March, 2021 (12 months). The injury analysis period will cover the period of investigation and the preceding three years 2017-18, 2018-19 and 2019-2020.

G. Normal Value in China PR

15. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the anti-dumping Rules. The applicant has submitted that France should be considered as an appropriate market economy third country for the purpose of determining the normal value for China PR. Due to unavailability of information regarding the price of the subject country in the surrogate country, the applicant has claimed the normal value for China PR considering price of exports of the subject goods from France to India. The normal value claimed by the applicant has been considered for the purpose of initiation. The interested parties may offer comments with regard to selection of France as the appropriate third country.

H. Normal Value for UAE

16. The applicant has claimed that efforts were made to get information/evidence of the price of the subject goods in the domestic market of the subject country. The applicant has been able to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of UAE based on the online selling prices of the subject goods. The applicant claimed that since these are retail prices, the same have been adjusted for retail margins, local taxes and other expenses. While the local taxes are based on prevalent taxation system in UAE as known to the applicant, all other adjustments have been made based on the applicant's experience of the trade.

17. For the purpose of initiation, the Authority has considered the normal value as claimed by the applicant.

I. Export Price

18. The export price of the subject imports has been determined based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. The price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

J. Dumping Margin

19. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show that the dumping margin determined is not only above the de-minimis level but also significant. There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being dumped into the Indian market, thereby indicating likelihood of continued dumping so as to justify initiation of the investigation.

K. Likelihood of continuation / recurrence of injury

20. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and the injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, considering the continued dumping of the subject goods; significant volume of the imports; low price of the subject imports; freely disposable present capacity with the foreign producers and export orientation of the exporters. It is prima facie

noted that there is likelihood of continuation/recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.

L. Initiation of sunset review investigation

21. On the basis of the duly substantiated written application filed by and on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of the dumping and the injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates the sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duties is likely to lead to the continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry.

M. Procedure

22. The review investigation will cover all the aspects of the final findings published vide Notification No. 14/24/2010-DGAD dated 25th August, 2011 and final findings published vide Notification No. 15/4/2016-DGAD dated 3rd July, 2017. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

23. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, l9 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

N. Submission of Information

24. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in, and jd13-dgtr@gov.in.

25. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set below.

26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within in the time limit set out below.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

O. Time Limit

28. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd11-dgtr@gov.in, and jd13-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per rue 6 (4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

P. Submission of information on confidential basis

30. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto) before the Authority, including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be a liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

33. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Q. <u>Inspection of Public File</u>

38. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

R. <u>Non-cooperation</u>

39. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.09 22:17:05 +05'30'